

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)


अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर

मुकाम भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार बनाम ग्राम पंचायत सालेरा

किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र धारा 131, 132 एलआरए
व नियम 58,59,60,66,86 आरएलआर

प्रकरण सं. 158 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>तहसीलदार, सहाड़ा मु0 गंगापुर द्वारा ग्राम रतनपुरा तहसील सहाड़ा के खसरा नम्बर 233 रकबा 3.77 हे0 में से जा रहे चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवार हल्का सालेरा परिशिष्ट-‘ए’ एवं अभिशंषा तहसीलदार, सहाड़ा प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार, सहाड़ा से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिससे प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेश पृथक से लिखाया जाकर संलग्न मिसल रहे। तहसीलदार, सहाड़ा आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें। मिसल फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी गंगापुर, भीलवाड़ा</p>	

